"स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य" बनाम

डॉ. विजय माल्या

(Contempt Petition (C) Nos. 421-424 of 2016)

JULY 11, 2022

[उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भट और पामिदिघंतम श्री नरसिंह, जस्टिसेज।]

Contempt of Courts Act, 1971: s. 12 - दंड - अदालत की अवमानना के लिए सजा - अवमानना की शुद्धीकरण - तथ्यों पर, अवमानना के भाग में कार्रवाई करते हुए US$ 40 मिलियन की राशि का वितरण, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के पाठ और भाव के विपरीत होने से अवमानना के दोषी - अवमानना के लिए दंड और शुद्धीकरण के आदेश - निर्णय: अवमानना के लिए दंडित करने के अलावा, कानून की महानता की मांग हो सकती है कि अदालत द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी किया जाए ताकि ऐसे अवमानना भरे आचरण के परिणामस्वरूप प्राप्त किये गए किसी भी लाभ को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके - इस प्रकार का दृष्टिकोण अदालत को अभिप्रेरित कर सकता है कि वह सूचित लेनदेनों के पलटाव के लिए दिशा-निर्देश जारी करे और घातक लेन-देनों को विवादित घोषित करके वो लेन-देन अमान्य घोषित करे या संबंधित अधिकारियों को उचित दिशानिर्देश दें ताकि अवमानना के दोषी द्वारा या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह लाभ न मिले - तथ्यों पर, न्याय के अंत मिलाने के लिए, अवमानना की शुद्धीकरण की धारणा ने अवमानना के परिणामस्वरूप प्राप्त सभी लाभों के पूर्ण छिन्न-भिन्न के लिए आह्वान किया है - इस प्रकार, दंडित के ऊपर उचित दंड लगाना चाहिए और आवश्यक दिशानिर्देश भी जारी करना चाहिए - क्योंकि दंडित कभी भी अपनी गलती का आभास नहीं दिखाया और न किसी माफी के लिए प्रस्तुत हुआ, दंडित पर चार महीने की सजा और Rs.2,000/- का जुर्माना लगाया गया - भारत सरकार को दंडित को सजा को अनुभव करने के लिए उपस्थित करने के लिए निर्देश जारी करना - और यह दिशा जारी करना कि लेनदेनों को संदर्भित किया गया, जिसके अनुसार US$ 40 मिलियन की राशि लाभार्थियों को दी गई थी, उस आदेश को मान्य और अमल अशक्त है; और दंडित और उस लेन-देन के लाभार्थियों को संदर्भित किए गए राशि को

ब्याज दर 8% प्रति वर्ष के साथ निर्धारित समय के भीतर रिकवरी अधिकारी के पास जमा करने के लिए निर्देश जारी किया जाता है।

"स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य" बनाम डॉ. विजय माल्या

दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन, तीस हजारी कोर्ट,

दिल्ली बनाम गुजरात राज्य और अन्य **(1991) 4 SCC 406:**

[1991] 3 SCR 936; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम

यूनियन ऑफ़ इंडिया एंड अन्य **(1998) 4 SCC 409 : [1998] 2 SCR**

795; नूराली बाबूल ठाणेवाला बनाम के.एम.एम. शेट्टी और अन्य

(1990) 1 SCC 259 : [1989] 2 Suppl. SCR 561; रामा नारंग बनाम

रमेश नारंग **(2009) 16 SCC 126 : [2007] 3 SCR 1099;** प्रवीण सी.

शाह बनाम के.ए. मोहम्मद अली और अन्य **(2001) 8 SCC 650 : [2001]**

3 Suppl. SCR 675 - संदर्भित किया गया।

रोज बनाम लास्किंग्टन **(1989) 3 AllER 306**; मीर बनाम मीर

(1992) 1 AllER 765; रिचर्डसन बनाम रिचर्डसन (1989)

3 AllER 779 - संदर्भित किया गया।

मुकदमा नियोजन संदर्भ

[1991] 3 एससीआर 936 पैरा 2(26) के लिए संदर्भित किया गया।

[1998] 2 एससीआर 795 पैरा 8 के लिए संदर्भित किया गया।

[1989] 2 सप्ली. एससीआर 561 पैरा 8 के लिए संदर्भित किया गया।

[2007] 3 एससीआर 1099 पैरा 8 के लिए संदर्भित किया गया।

[2001] 3 सप्ली. एससीआर 675 पैरा 8 के लिए संदर्भित किया गया।

INHERENT JURISDICTION: अवमानना याचिका (सी) संख्या 421-424 / 2016 में विशेष छूट याचिका (सी) संख्या 6828-6831 / 2016 में।

याचिका दायर की गई है अदालत के आदेश के जानबूझकर अवहेलना के लिए जो माननीय भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 09.05.2017 को "सीआईए नं. 6828-6831 / 2016 में आईए (क) नं.9-12 और 13-16 के साथ 2016 की I.A. और I.A. Nos.1-4 के साथ I.A. Nos.1-4 में और Contempt Petition (सी) के साथ 2016 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 421-424।। 2016 में" पारित किया गया था।

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ वकील, कुणाल चटर्जी, संजय कपूर, श्रीमती मेघा कर्णवाल, अर्जुन भाटिया, श्रीमती शुभ्रा कपूर, ललित राजपूत, अंकुर सैगल, ई. सी. अग्रवाला, श्रीमती फरेश्ते डी. सेथना, अभिषेक तिलक, श्रीमती बी. विजयलक्ष्मी मेनन, म/स दुआ एसोसिएट्स, आनंद सुकुमार, धीरज नायर, विपिन कुमार जय, प्रतिष्ठित पक्षों के लिए वकील।

अदालत का आदेश **जज उदय उमेश ललित** द्वारा पास किया गया था।

1. ये अवमानना याचिकाएं हमारे सामने आई हैं जो इस महान्यायालय द्वारा 9.5.2017 को "सीआईए नं. 6828-6831 / 2016 में आईए (क) नं.9-12 और 13-16 के साथ 2016 की I.A. और I.A. Nos.1-4 के साथ I.A. Nos.1-4 में और Contempt Petition (सी) के साथ 2016 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 421-424।। 2016 में" पास किए गए निर्णय और आदेश के अनुसार संबंधित हैं।

2. हम अब उस तथ्यों की ओर मुड़ते हैं जिनके कारण उक्त अंतरिम आवेदनों और अवमानना याचिकाओं की दायरी हुई। इस महान्यायालय ने उत्तरदाता संख्या 3 (डॉ. विजय माल्या) को दो गणना में अदालत की अवमानना का दोषी पाया। कहा-कहा 22 से 30 तक के पैराग्राफ्स में नीलामी और आदेश दिनांक 9.5.2017 थे: -

"22. हम अब कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 03.09.2013 और 13.11.2013 को पास किए गए आदेशों के भंग की अवधारणा में आते हैं। यह असंतोष नहीं किया जा सकता कि ऐसे

आदेश दिए गए थे जो संबंधित प्रतिवादियों को, जिसमें अवमानना नंबर 3 भी शामिल थे, रोकने का आदेश दिया गया था और ये आदेश DRT बैंगलुरु के O.A. No. 766 of 2013 से उत्पन्न हुई प्रक्रिया से संबंधित थे। वर्तमान मामले भी उसी O.A. No. 766 of 2013 से उत्पन्न हुए थे। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए रोकावट के आदेश इसलिए उसी प्रक्रिया में थे जिससे हम वर्तमान में जुड़े हैं। कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए रोकावट के आदेश निर्दिष्ट प्रतिवादियों, जैसे कि अवमानना नंबर 3, को बाधित करते थे और उन्हें आगे के आदेश तक उनकी संपत्तियों के संबंध में हरकत करने से रोकते थे। श्री वैद्यनाथन ने एक सवाल उठाया है कि क्या आदेश केवल उस समय तक ही सीमित होंगे जब उन निषेधात्मक आदेशों की तारीख पर निर्दिष्ट प्रतिवादियों के हाथों में संपत्तियां थीं। अन्य शब्दों में, क्या कोई संपत्तियाँ जो आदेशों के बाद आने या उस समय पर निर्दिष्ट प्रतिवादी के हाथों या नियंत्रण में आई थीं, उन आदेशों को कवर करेंगी या नहीं। हमारे नजरिए से, आदेशों की स्पष्ट पढ़ाई में, चाहे संबंधित प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधात्मक आदेशों की तारीख पर हों या बाद में उनके हाथों या नियंत्रण में आए हों, इस सम्बन्ध में कोई विशेषता हो, सभी संपत्तियाँ, चाहे वे चलनी या अचलनी हों, निषेधात्मक आदेशों से अधीन थीं।

किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है और निषेधात्मक आदेश स्पष्ट हैं। इसलिए, जो US$ 40 मिलियन की राशि जो अवमानना नंबर 3 के नियंत्रण और हाथों में आई थी, वह पूरी तरह से उनी निषेधात्मक आदेशों से कवर और नियंत्रित थी।

23. उक्त ओ.ए. संख्या 766 ऑफ 2013 में उत्तरदाता संख्या 10 द्वारा दिनांक 28.06.2016 को दाखिल की गई जिती, "25.02.2016 को प्राथमिक नंबर 3 को US$ (US डॉलर) 40 मिलियन के भुगतान की पुष्टि करने वाली निकासी" संलग्न थी। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि US$ 40 मिलियन का भुगतान 25.02.2016 को प्राप्त किया गया था। ये तथ्य उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा उनके "अतिरिक्त विरोधी शपथपत्र" के पैराग्राफ 3 में स्वीकार किए गए हैं। यह व्याख्या कि अब धन ऐसे विशेषता में ट्रांसफर हो गए हैं, जिन पर उत्तरदाता संख्या 3 का कोई नियंत्रण ही नहीं है, वास्तव में उल्लंघन की मात्रा को बढ़ाता है। स्पष्ट है कि वह धन जो उत्तरदाता संख्या 3 के नियंत्रण में थे, उन्हें अब अदालत की प्रक्रियाओं के बाहर रखने की कोशिश की गई है, जो कि इच्छाशक्ति का परिचायक है।

24. प्रार्थी-बैंकों द्वारा 02.03.2016 को चलाई गई अनुप्रयोगों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि जैसा कि उत्तरदाता संख्या 10 और 11 ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्ट किया था, उत्तरदाता संख्या 10 उत्तरदाता संख्या 3 को US$ 75 मिलियन का भुगतान करेगा और इसी प्रकार प्रार्थी-बैंकों ने उत्तरदाता संख्या 10 और 11 के खिलाफ उक्त US$ 75 मिलियन की राशि के लिए चार इंटरलोक्यूटरी अनुप्रस्थान के लिए आदेश चालू

किए थे। इसलिए, जो US$ 40 मिलियन उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा प्राप्त किया गया था, वह वर्तमान विवाद का विषय था। उत्तरदाता संख्या 3 से उम्मीद की जाती थी कि वह US$ 40 मिलियन के प्राप्ति और वितरण से संबंधित प्रमुख तथ्यों को खोल करेगा। इस संदर्भ में उल्लंघन न केवल इस अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों के खिलाफ है, बल्कि प्रश्नित प्रक्रिया में दिनांक 03.09.2013 और 13.11.2013 को आदेशों की स्पष्ट आज्ञा के भी खिलाफ है।

25. इस प्रकार यह निर्धारित करने के बाद कि जो कार्यान्वयन उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा US$ 40 मिलियन की राशि के वितरण में किया गया था, वह कर्नाटक के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के पाठ और ध्वनि के विपरीत था, तो उसका सवाल उठता है कि क्या यह अदालत ऐसे उल्लंघन का संज्ञान ले सकती है या क्या इसे कर्नाटक के उच्च न्यायालय को ही इसे सही तरीके से शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया में निर्धारित करने के लिए छोड़ देना चाहिए।

26. दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली बनाम गुजरात राज्य और अन्य1 मामले में, एक सवाल उठा कि संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत इस महान्यायालय की शक्ति और प्राधिकरण क्या केवल 'इस महान्यायालय के अवमानना' तक ही सीमित है। उसके संबंध में प्रस्तुत योजनाएँ न्यायमूर्ति महान्यायाधीश द्वारा पैराग्राफ 14 में नोट की गई थीं, जिसमें जानी अटॉर्नी जनरल की योजना को बयान किया गया था:

"...सुप्रीम कोर्ट महान्यायालय मानवता के प्रति संरक्षक और प्रहरी है, इसलिए, उसका अधिकार और भी कर्तव्य होता है कि वह उन न्यायालयों की सुरक्षा करें जिनके आदेशों और निर्णयों को सुधारा जा सकता है, उनके खिलाफ अवमानना के कॉमिशन से।"

फिर आदेश के उसके पश्चात पैराग्राफ, अर्थात पैराग्राफ 26 से आगे के अनुच्छेद दर्शाते हैं कि उन विचारों को जो जानी अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें इस महान्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। सत्य है कि चर्चा एक उप-न्यायालय के अवमानना के संदर्भ में थी। हालांकि, इस महान्यायालय द्वारा अभ्यस्त शक्ति का स्वरूप उस पृष्ठभूमि में विचारा गया था जहां इस महान्यायालय के पास देश में सभी न्यायालयों और ट्रिब्यूनल्स पर सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण है, जो न्यायमूर्ति के निर्देशों में पारदर्शित है, जो कि अनुच्छेद 31 की टिप्पणियों से स्पष्ट है। हमें कहना चाहिए कि माननीय वैद्यनाथन ने विपरीत तरीके से गंभीरता से विवाद नहीं किया लेकिन उनकी योजना यह थी कि यदि यह महान्यायालय जुरिसडिक्शन को ऐसे ही मानता है और इस महान्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है, तो उत्तरदाता संख्या 3 को हाईकोर्ट के स्तर पर मामला मूल्यांकन कराने का एक अवसर खो दिया जाएगा। हमारे विचार में, क्योंकि हम उसी समान के साथ निर्देशों का संविदान में बात कर रहे हैं जिन्होंने हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिए गए थे और क्योंकि यह इस महान्यायालय के आदेशों के उल्लंघन

के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस मामले को इस महान्यायालय द्वारा निबटाया जा सकता है और होना चाहिए।

27. रिकॉर्ड दर्शाता है कि 11.01.2017 को जारी आदेश द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई उन आदेशों की उल्लंघन को इस महान्यायालय द्वारा नोटिस लिया गया था और उत्तरदाता के प्रतिनिधि ने उचित जवाब देने के लिए समय की मांग की थी। हालांकि, ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार, उत्तरदाता संख्या 3 को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई उन आदेशों के उल्लंघन के बारे में स्पष्ट सूचना दी गई थी। इस प्रकार, उत्तरदाता संख्या 3 को कोई हानि या नुकसान नहीं हुआ है।

28. हमें यह पाया गया है कि उत्तरदाता संख्या 3 के खिलाफ अवमानना के दो आरोप हैं, जिसमें -

a) इस महान्यायालय द्वारा जारी आदेशों का अनुसरण न करके वह अपनी संपत्ति की पूरी विवरण देने में दोषी है, जैसा कि इस महान्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था।

b) उसे कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करने के दोषी पाया गया है, जो उसी मामले में दिए गए निर्णयों से उत्पन्न हुए हैं जिससे यह वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हुई है।

हालांकि, द्वितीय आरोप का अवमानना नैतिक रूप से कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का हो सकता है क्योंकि वे आदेश उसी मामले से संबंधित हैं और उत्तरदाता संख्या 3 की क्रियाओं में जिनके माध्यम से संबंधित खाता जिसके माध्यम से हस्तांतरण किया गया था, उन्हें दिखाने में असफल रहने के बावजूद भी पहले आरोप के अवमानना के दृष्टिगत होते हैं। हम अपने अवमानना अधिकार का प्रयोग द्वितीय आरोप के साथ भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले उपर्युक्त में उल्लिखित किया गया है, उत्तरदाता संख्या 3 को यथासम्भाव सूचना दी गई थी और इस महान्यायालय द्वारा जुरिसडिक्शन की इस प्रक्रिया द्वारा कोई नुकसान नहीं हुआ है।

29. पूरे मामले को विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि उत्तरदाता संख्या 3 ने अदालत का अवमानना किया है दोनों आरोपों पर। इस चरण में कहा जाना चाहिए कि तत्व 6 (1) के अनुसार नियम 1975, उत्तरदाता संख्या 3 को विशेष सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के प्रक्रिया नियमों के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 3 को इस महान्यायालय द्वारा जारी किए गए नोटिस का व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना अनिवार्य था और कर्तव्य था। बजाय इसके, उसने यह चुना कि उसने नोटिस जारी करने वाले आदेश को वापस लेने की अर्जी दाखिल की। मामला विचार करने

के बाद, हमें कोई कारण नहीं दिखाई दिया कि वह आदेश को वापस लिया जाए और उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा अवमानना याचिका में उत्तरदाता संख्या 421-424 तक आई गई I.A. 1 से 4 को खारिज कर दिया गया। इसलिए, उत्तरदाता संख्या 3 को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए इस वर्तमान अवमानना प्रक्रिया में आना होगा।

30. क्योंकि उत्तरदाता संख्या 3 ने अवमानना याचिका में कोई जवाब नहीं दिया है और न ही वह व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुआ है, हालांकि हमने उसे अदालत का अवमानना करने के दोषी पाया है, हमें उसे एक और मौका देना और उसे प्रस्तावित दंड पर भी सुनना आवश्यक माना गया है। इसलिए, हम मामले को 10.07.2017 तक स्थगित करते हैं, जिसमें उत्तरदाता संख्या 3 को हाजिरी पर सुनवाई करने के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मुद्दों पर सुनवाई की जाएगी, जिसमें उसे अदालत के अवमानना के लिए निर्धारित दंड के बारे में भी सुनाया जाएगा। इस संबंधित अवमानना याचिका और जुड़े मामले अब 10.07.2017 को दो बजे सूचीत किए जाएंगे। उत्तरदाता संख्या 3 को उसी दिन उसकी अवस्था को साबित करने के लिए तैयार अफीडेविट जमा करने के लिए तैयार रखना होगा, जिसमें कोई संवेदनशील परिस्थितियाँ यदि हों और वह किसी अन्य योजना को आगे बढ़ाने का चुनाव करता है।

31. हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से निर्देशित करते हैं कि उत्तरदाता संख्या 3 को 10.07.2017 को इस अदालत के सामने उपस्थित करने का सुनिश्चित और सुनिश्चित करें। इस निर्णय की एक प्रति को अनुपालन के लिए गृह मंत्रालय को भेजी जाए।"

3. यूएस$ 40 मिलियन का वितरण जो एडमंड डी रोथशिल्ड (स्विस) एस.ए. में जमा हुआ था, उस पर विस्तार से चर्चा की गई और उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा दी गई 'अधिक विरोधी एफिडेविट' के पैराग्राफ 3 को इसी अदालत ने निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया:

"**16**. उत्तरदाता संख्या 3 ने इसके बाद 23.11.2016 को उक्त I.A. Nos.9-12 of 2016 में "अधिक विरोधी एफिडेविट" दाखिल किया। इस एफिडेविट में 18.11.2016 को एडमंड डी रोथशिल्ड (स्विस) एस.ए. द्वारा जारी पत्र जोड़ा गया था। इस एफिडेविट के पैराग्राफ 3 का अफीडेविट निम्नलिखित था:

"एडमंड डी रोथशिल्ड (स्विस) एस.ए. द्वारा 18 नवंबर, 2016 को जारी पत्र के साधारण पढ़ाई में यह स्पष्ट है कि दियाजियो पीएलसी द्वारा भुगतान किया गया यूएस$ 39,999,994 मिलियन 25 फरवरी, 2016 को प्राप्त किया गया था। उत्तरदाता संख्या 3 के निर्देश पर, 26 और 29 फरवरी, 2016 को एकत्र रूप में US$ 39,999,993.99 की राशि निम्नलिखित पक्षों को भुगतान किया गया था

पक्ष का नाम	रकम
एस. थ्री गिफ्ट सेटलमेंट (एक ट्रस्ट, जिसका एकमात्र लाभार्थी सिद्धार्थ माल्या, उत्तरदाता संख्या 3 का पुत्र है	यूएस डॉलर 13,000,000 (26.02.2016 को) और यूएस डॉलर 333,331.33 (29.02.2016 को)
L. थ्री गिफ्ट सेटलमेंट (एक ट्रस्ट, जिसका एकमात्र लाभार्थी उत्तरदाता संख्या 3 की बेटी लीना माल्या है)	13,000,000 यूएस डॉलर (26.02.2016 को) और 333,331.33 यूएस डॉलर (29.02.2016 को)
T. थ्री गिफ्ट सेटलमेंट (एक ट्रस्ट, जिसका एकमात्र लाभार्थी उत्तरदाता संख्या 3 की बेटी तान्या माल्या है	13,000,000 यूएस डॉलर (26.02.2016 को) और 333,331.33 यूएस डॉलर (29.02.2016 को)
कुल	39,999,993.99 यूएस डॉलर

Respondent No.3 के तीन बच्चे, जो उक्त ट्रस्टों के एकमात्र लाभार्थी हैं, वे पूर्णवयस्क हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। उत्तरदाता संख्या 3 न तो उपहारकर्ता हैं, न ही विश्वासपत्री हैं, और न ही उपरोक्त नामित विश्वासों के किसी भी लाभार्थी हैं, और उनके पास न तो ट्रस्टों पर नियंत्रण है और न ही उन ट्रस्टों या प्रत्येक उपरोक्त ट्रस्टों की रूपी कोर्पस के उपयोग की तरीका पर कोई नियंत्रण है। हालांकि, 31 मार्च, 2016 को जैसे जैसे उनके संबंधित कोर्पस का स्थिति थी, वे प्रत्येक उपरोक्त ट्रस्टों के संपत्ति के विवरणों में शामिल किए गए थे, जो 26 अप्रैल, 2016 को इस माननीय महान्याय को बंद लिफाफे में सौंपे गए थे।

4. पैराग्राफ 29 और 30 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 3 (जिसे यहां पर अत्याचारी कहा गया है) को उसकी प्रतिक्रिया देने और प्रस्तावित सजा पर प्रस्तावित दावे प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। संबंधित विषय को देखते हुए, मामला 10.7.2017 को स्थगित किया गया था।

5. अत्याचारी ने तथाकथित दिनांक 9.5.2017 के आदेश और निर्णय की समीक्षा के लिए याचिका दाखिल की, जो कुछ समय तक लंबित रही और इस संदर्भ में दिनांक 03.08.2020 को यह मान्यता दी गई। उस आदेश में अत्याचारी को इस सीमा के सम्मुख आने के लिए निर्देशित किया गया था; और भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, को इस समर्थन और सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

6. मामले में आगामी घटनाएं इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2021 को जारी आदेश में दर्ज हैं, जिसे सुविधार्थ यहां उद्धृत किया गया है: -

"इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2017 को I.A. नं. 9-12 और 13-16/2016 में SLP (सिविल) नं। 6828-6831/2016 और I.A. नं. 1-4/2016 में Contempt Petition (C) नं. 421-424/2016 में डॉ। 6828-6831/2016 नं। 3 विजय माल्या को न्यायालय का अवमानन करने के दोषी पाया गया था। निर्णय ने यह निर्देशित किया था कि इस मामले को 10.07.2017 को सूचीबद्ध किया जाए ताकि उस संदर्भ में डॉ। विजय माल्या की सुनवाई हो सके, जिसमें उसके खिलाफ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित दण्ड के बारे में भी बातचीत की जाए। हालांकि, जिस समय इस प्रकरण में यह निर्धारण किया गया था, यूनाइटेड किंगडम के न्यायालयों में चल रही प्रक्रियाओं के कारण डॉ। विजय माल्या की मौजूदगी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इसके बाद की आदेश दिनांक 02.11.2020 में, इस न्यायालय ने नोट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ प्रक्रियाएं जारी थीं, हालांकि ऐसी प्रक्रियाओं के विवरण नहीं उपलब्ध हुए। इस न्यायालय ने माननीय अधिवक्ता श्री ई.सी. अग्रवाल द्वारा की गई याचिका को नाफी किया और निर्देशित किया कि वे माननीय अधिवक्ता डॉ। विजय माल्या के प्रतिनिधि के रूप में जारी रहेंगे। इसके बाद माननीय सोलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को समय दिया गया कि वह स्थिति रिपोर्ट को अदालत में प्रस्तुत करें।

मामला इसके बाद कुछ बार अवरोधित हुआ और COVID-19 महामारी की स्थिति के कारण, मामला सूचीबद्ध नहीं किया जा सका और उसपर ध्यान दिया नहीं जा सका।

आज जब मामला सूचीबद्ध किया गया तो माननीय सोलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने हमारा ध्यान खींचने के लिए मामले की उपाध्यक्ष (प्रत्यर्पण), सीपीवी विभाग, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश मंत्रालय, सरकार के हस्ताक्षर सहित दिनांक 30.11.2021 को जारी कार्यालय स्मारक को आमंत्रित किया। मेमोरेंडम के अनुच्छेद 2 से 5 तक इस प्रकार हैं:

2. यह याद कराया जाता है कि वीएम के संबंध में एक प्रत्यर्पण अनुरोध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120B के तहत धारा 420 और भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत धारा 13(1)(d)

के तहत सीबीआई के मामले में 9 फरवरी 2017 को यूके पक्ष को भेजा गया था। 10 दिसंबर 2018 को, वेस्टमिनस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के वरिष्ठ जिला न्यायाधीश ने भारत के लिए वीएम की प्रत्यर्पण सिफारिश की। वीएम ने लंदन के हाईकोर्ट में अपने प्रत्यर्पण की आदेश को चुनौती दी। इस अपील को प्राइमा फेसी केस की पर्याप्तता के एकमात्र कारण के रूप में स्वीकृत किया गया था। लंदन के हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2020 को इस अपील को खारिज किया। वीएम ने हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध करने के लिए अपील किया। 14 मई 2020 को लंदन के हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को अनुमति देने के लिए उसकी अर्जी को खारिज किया। वीएम ने यूके में सभी अपील के सार्वजनिक अवसरों को समाप्त किया है।

3. अपील की अनुमति न मिलने के बाद, भारत को वीएम की प्रत्यर्पण को सिद्धांत में 28 दिनों के अंदर पूरा कर देना चाहिए था। हालांकि, यूके होम ऑफिस ने सूचित किया कि वीएम की प्रत्यर्पण होने से पहले एक और कानूनी मुद्दा है जो हल होना चाहिए। यूके पक्ष ने इसे और कहा कि यह मुद्दा प्रत्यर्पण प्रक्रिया के बाहर है, लेकिन इसका प्रभाव यह है कि यूनाइटेड किंगडम के कानून के तहत, तब तक प्रत्यर्पण नहीं हो सकता जब तक यह हल न हो जाए। उच्च आयोग को इसे और भी यह सूचित किया गया कि यह मुद्दा गोपनीय है और इसलिए इसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

4. माननीय सुप्रीम कोर्ट के 31.08.2020 के आदेश के अनुपालन में, भारत सरकार ने वीएम के लंबित प्रत्यर्पण मामले को फिर से यूके सरकार के साथ उठाया ताकि उसके जल्दी से प्रत्यर्पण की मांग की जा सके और उसकी मौजूदगी को सुनिश्चित किया जा सके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 अक्टूबर 2020 को।

5. यूके पक्ष ने सूचित किया है कि वीएम का प्रत्यर्पण तब तक नहीं हो सकता जब तक एक अलग कानूनी मुद्दा, जो न्यायिक और गोपनीय है, हल नहीं हो जाता। यूके पक्ष ने यह भी दबाव डाला कि वे अधिक विवरण प्रदान नहीं कर सकते और न तो प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्होंने इसे भी दर्शाया है कि डिजाइनेटेड चैनल के माध्यम से, यूके होम ऑफिस को वीएम को सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के लिए समन जारी करने का अनुरोध मिला है। ब्रिटिश होम ऑफिस ने 17 सितंबर 2020 को हर्टफोर्डशायर पुलिस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वीएम को सर्विस करने के लिए फॉरवर्ड किया है।

जैसा कि मेमोरेंडम के पैराग्राफ 2 में इंग्लैंड में प्रत्यर्पण के प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और उत्तराधिकारी संख्या 3 ने सभी अपील के अवसरों को समाप्त किया है। हालांकि, पैराग्राफ 4 और 5 में कुछ प्रक्रियाएँ उल्लिखित हैं जिन्हें गोपनीय घोषित किया गया है और जिनके संबंध में कोई विवरण नहीं है। प्रतीत होता है कि ये वही प्रक्रियाएँ हैं जिनका संदर्भ 02.11.2020 के आदेश में किया गया था।

सभी प्रस्तावित परिस्थितियों को विचार में लेते हुए, निर्देशित किया जाता है:

a. इस मामला निर्देशों के तौर पर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुसार अब 18.01.2022 को सूचीबद्ध होगा।

b. उत्तरदाता संख्या 3 को उन मुद्दों के संदर्भ में जो आदेश दिनांक 09.05.2017 में निर्दिष्ट किए गए हैं, जिन्हें उचित माना जाता है, वे ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं।

c. यदि किसी कारणवश, उत्तरदाता संख्या 3 उपलब्ध नहीं हैं ताकि ऐसी प्रस्तावनाएं आगे बढ़ा सकें, तो उसके लिए उसके पक्ष में अधिवक्ता ऐसी कानून में खुले हुए प्रस्तावनाएं आगे बढ़ा सकते हैं।

d. हम इस मामले में अमिकस कुरिए के रूप में इस महान्यायाधीश म. जयदीप गुप्ता, इस महान्यायाधीश के सीनियर अधिवक्ता को मदद करने के लिए अनुरोध करते हैं। गुप्ता को अनुमति होगी कि इस मामले में उसकी इच्छानुसार किसी भी अपनी पसंदीदा अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड की सेवाओं का उपयोग कर सकें।

रजिस्ट्री को इस मामले के पत्रों को जी.पी. को एक सप्ताह के अंदर प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है।

e. इस मामला 18.01.2022 को अंतिम रूप से निबटाया जाएगा।

7. उसके बाद मामला इस महकमे के सामने 10.03.2022 को आया, जिस तारीख को निम्नलिखित आदेश दिया गया था: -

"1. समय-समय पर दिए गए आदेशों और विशेष रूप से 30.11.2021 और 10.02.2022 के आदेशों के प्रावधानों के अनुसार, मामला आज सुनवाई के लिए तैनात है।"

2. 30.11.2021 को आदेश जारी करते हुए इस महकमे द्वारा जारी निर्देश (बी) और (सी) के आधार पर, अपमानित व्यक्ति को 09.05.2017 की जजमेंट में उल्लिखित मुद्दों के संबंध में विचार रखने का विशेष अधिकार दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उसे इस द्वारा अपने शिक्षित काउंसल के माध्यम से ऐसे विचार प्रस्तुत करने का और भी अधिकार दिया गया था।

3. मान्यवर महोदय श्री अंकुर सैगल, जो अपमानित व्यक्ति की पक्ष से उपस्थित हैं, उन्होंने सभी आदेशों की सूचना देते हुए यह दावा किया कि जिनमें 30.11.2021 और 10.02.2022 के आदेश शामिल हैं, उन्हें अपमानित व्यक्ति को सूचित किया गया था और उसके बीच संवाद भी हुआ था। 17.01.2022 की संवादित की गई कॉपी हमारे निरीक्षण के लिए पेश की गई है, जिसमें अपमानित व्यक्ति के सॉलिसिटर्स की असमर्थता का जिक्र किया गया है कि वह संयुक्त राज्य के प्रचलित प्रक्रियाओं और इसके द्वारा मांगी जाने वाली किसी भी सहायता के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं कर सकते।

4. इसके बाद हमने मान्यवर श्री अंकुर सैगल, जो शिक्षित काउंसल हैं, से विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया, जो पिछले दो आदेशों के अनुसार थे। श्री सैगल ने अपनी असमर्थता जताई विचारों को आगे बढ़ाने की।

5. हमने श्री जयदीप गुप्ता, जो विद्वान वकील हैं और इस मामले में अमीकस कुरिए के रूप में इस महोदय ने बहुत ही सक्षमता से इस सदन की मदद की है। उन्होंने हमारी ध्यान दिलाया विभिन्न पहलुओं पर जो कागजात में हैं, जिसमें 09.05.2017 का न्यायालय का निर्णय भी शामिल है, और 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य v. किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड और अन्य', (2017) 6 SCC 654 में निर्धारित प्रावधान, न्यायालय के अवमानना अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 की धाराओं पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने इस महान्यायाधीश में इस कोर्ट के विभिन्न फैसलों का सहारा लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, (1998) 4 SCC 409 का निर्णय भी शामिल है।

6. श्री गुप्ता अपने लिखित प्रस्तावनाएं 12.03.2022 या उससे पहले जमा कर सकते हैं।

7. हालांकि श्री अंकुर सैगल, जो विद्यालय वकील हैं, ने अपनी असमर्थता जाहिर की है कि वे अपनी प्रस्तावना प्रस्तुत कर सकते हैं, हालांकि उन्हें इसे करने के लिए आमंत्रित किया गया था, हम उन्हें एक और मौका देते हैं कि वे अपनी प्रस्तावना 15.03.2022 या उससे पहले जमा करें, जिसमें उन्हें अग्रिम प्रति विद्यालय के अमीकस कुरिए को देनी होगी।"

8. श्री जयदीप गुप्ता, विद्यालय के अमीकस कुरिए द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक तर्क संक्षेपित रूप में उनकी लिखित प्रस्तावना में निम्नलिखित थे: -

A. जिस धन राशि को एडमंड डी रोथशिल्ड (स्विस) एम.ए. द्वारा प्राप्त किया गया था, उसे उत्तरदाता संख्या 3/ अपराधी द्वारा, तीन ट्रस्टों में भेज दिया गया था जहां के अवाधानकर्ता थे उत्तरदाता संख्या 3/ अपराधी के बेटे और दो बेटियां। उपरोक्त राशि ने अदालती आदेश का उल्लंघन किया जाने के बावजूद, अपराधी नंबर 3/ उत्तरदाता द्वारा वहां भेजा गया था। इसलिए, संदिग्ध है कि इस मामले में जो भी लेन-देन हुई है, उसे वापस लेने के लिए इस महान्यायालय को योग्य दिशा प्रदान करनी चाहिए और कहना चाहिए कि उपरोक्त लेन-देन लेनदेन को विफल घोषित किया जाए।

B. वर्तमान अवमानना प्रक्रिया बैंकों द्वारा पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। उस स्थानीय बैंक संस्था के वकील द्वारा कहा गया है कि उत्तरदाता संख्या 3 के खिलाफ निरस्त्राधिकार संख्या 3 प्राप्ति प्रक्रियाओं में फैसले हुए हैं और निरस्त्राधिकार अधिकारी को कार्यान्वयन और फैसले के लिए नियुक्त किया गया है। अगर आवश्यक हो, तो यह महान्यायालय उपरोक्त निरस्त्राधिकारी को उपयुक्त दिशा

प्रदान कर सकता है ताकि वे उन धनराशियों का पता लगाएं जो व्यक्ति के पास पहुंच गए हो सकते हैं और उन्हें फैसले में उपयोग कर सके।

C. यदि उक्त धनराशियाँ अपराधी नंबर 3/ उत्तरदाता की निंदा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो निरस्त्राधिकारी के पास उपरोक्त अपराधी नंबर 3/ उत्तरदाता के संपत्तियों को निरस्त्रीकरण के लिए उचित निर्देश दिए जा सकते हैं, भारत में और बाहर दोनों। बैंकों और/ या भारत सरकार से सहायता ली जा सकती है ताकि उत्तरदाता संख्या 3/ अपराधी की सभी संपत्तियों का पता लगाया जा सके जो उपलब्ध हो सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, एक फोरेंसिक लेखा परीक्षक को इस प्रक्रिया का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

मान्यवर अमीकस क्यूरिए ने इस महान्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड एन. के मुद्दे में थे। उन्होंने यह दावा किया कि अवमानना अधिकार क्षेत्र में अदालत अवमानना की स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए अवमानना नोषण को निर्देशित कर सकती है जो कि अवमानना मानी गई थी। संपत्तियों को निरस्त्रीकरण के उपाय पर भरोसा रोज़ बनाम लास्किंग्टन, मीर बनाम मीर और रिचर्डसन बनाम रिचर्डसन के मामले पर रखा गया था।

9. अपेक्षा के बावजूद, अवमानित को प्रदान की गई बार-बार अवसरों में, उसके पक्ष से न तो किसी प्रकार के अवमानना को पुनः करने या दण्ड की मात्रा पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

10. अवमानित के कार्यों को जो कि 09.05.2017 के न्यायालय के आदेश और निर्णय में पाया गया, उनका साबित होने के बाद, हम अब उन मुद्दों के संबंध में चिंतित हैं कि दण्ड और अवमानना को पुनः करने के संबंध में कौन से आदेश पारित किए जाएँ। ऐसे मामलों में इस प्रकार का उपाय महान्यायालय ने Pravin C. Shah v. K.A. Mohd. Ali & Anr.5 में संक्षेप में बताया गया था।

"23. अब हमें महत्वपूर्ण प्रश्न को विचार करना होगा - एक अवमानित व्यक्ति खुद को अवमान से कैसे मुक्त कर सकता है? भारतीय वकील परिषद की शिष्टाचार समिति के अनुसार, अवमान को दूर करने का एक तरीका न्यायालय से माफी मांगकर किया जा सकता है। वकील परिषद के उक्त मत को निम्नलिखित आदेश के अंश से देखा जा सकता है:

"अवमानित की अवमान से केवल पश्चात् किया गया क्रिया में खेद करने या माफी मांगकर किया जा सकता है। यदि यह नाना अवमान है, तो न्यायालय के निर्देशों का बाद में अनुपालन करके अवमान को दूर किया जा सकता है। कोई प्रक्रियात्मक प्रावधान कानून में अवमान से मुक्त होने के लिए नहीं है।"

24. पर्जना एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक अनचाहा तत्व या तो व्यक्ति के अपने आप से या समाज से निकाल दिया जाता है। यह एक सफाई की प्रक्रिया है। 'पर्ज' एक शब्द है जिसने पहली बार धार्मिक अर्थ में अर्थ प्राप्त किया। पाप के मामले में, ऐसे पाप को परिशुद्ध करना केवल ईमानदारी से किये गए खेद के प्रकटीकरण द्वारा होता है जो की प्रायश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। अपराध के मामले में, पर्ज का मतलब होता है कि वह खुद को दोषमुक्त कर दें। पर्जेटरी शब्द की उत्पति 'पर्ज' शब्द से हुई, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें उन आत्माओं को योंि होता है जो इस जीवन के बाद अपने घोर पापों के साथ जाते हैं, वे शुद्ध किये जाते हैं और स्वर्ग में प्रवेश के लिए योग्य बनाया जाता है जहां कुछ भी दोषमुक्त नहीं प्रवेश करता है (देखें वर्ड्स एंड फ्रेज़े, स्थायी संस्करण, वॉल्यूम 35-ए, पृष्ठ 307)। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में शब्द 'पर्ज' को निम्नलिखित अर्थ दिया गया है: "शुद्ध करना; स्पष्ट करना। कुछ आरोप या दोष के तुच्छीकरण या मुक्त करना।" यह अविवेकपूर्ण है कि यदि दोषी व्यक्ति सजा भुगतता है या यदि उसे जुर्माना देना पड़ता है तो पर्ज पूरा हो जाएगा।

25. हमें बताया गया है कि अलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान एक दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि पर्ज प्रक्रिया उस समय पूरी हो जाएगी जब अवमानी पर दण्ड का सामना करता है [देखें मदन गोपाल गुप्ता (डॉ) व. आगरा विश्वविद्यालय [AIR 1974 अल्ल 39]]. यह वही है जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसके बारे में कहा: (AIR पृष्ठ 43, पैरा 13)

"मेरे विचार में अवमानी व्यक्ति न्यायालय के आदेशों का पालन करके या न्यायालय द्वारा लगाये गए दण्ड का सामना करके अपने अवमान से मुक्त हो जाता है।"

26. न्यायालय के आदेशों का पालन करना एक तरीका है जिससे कोई व्यक्ति पर्ज प्रक्रिया को सार्थक रूप में कर सकता है जब यह एक नागरिक अवमान हो। इस प्रकार के नागरिक अवमान के लिए भी पर्ज प्रक्रिया को केवल उस अवमानी द्वारा जारी किए गए दण्ड के माध्यम से पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि वह न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है या उसने गलती को ठीक कर दिया हो। यदि यह स्थिति नागरिक अवमान के संबंध में है तो अपराधी अवमान के मामले में स्थिति और मजबूत होनी चाहिए। न्यायालयों के अवमान कारों के अनुसार दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी "नागरिक अवमान" है जो की न्यायालय के आदेश के इच्छानुसार जान भुजा करना है, जिसमें न्यायालय के आदेश का उल्लंघन भी शामिल है। लेकिन "जुर्माना अवमान" में किसी भी कार्य को करना शामिल है, जो किसी भी न्यायालय की शोहत को छोटा करता है या न्यायिक प्रक्रिया की योजना में हस्तक्षेप करता है या अन्य तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है।"

27. हम इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते कि किसी भी ऐसे संकट में, जहां दोषी को दंडित किया गया हो, केवल उस दंड को भुगतना ही उस संकट से छुटकारा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो। विशेषकर, जब एक ऐसे मामले में दोषी को अपराधिक संकट के लिए सजा दी गई हो। प्रासंगिक निर्णय

में शिक्षित एकल न्यायाधीश की उक्त दृष्टिकोण को स्वीकृति देने में खतरा है, क्योंकि यदि एक दोषी को धनराशि का दंड लगाया जाता है, तो वह तुरंत इसे भुगत सकता है और वही न्यायालय में अपमानजनक आचरण को जारी रख सकता है, और फिर से धनराशि का भुगतान कर सकता है और अपने अपमानजनक आचरण को जारी रख सकता है। जब किसी दोषी को अपराधिक संकट का मामला हो, तो संकट से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ और भी किया जाना चाहिए।

समान रूप से, इस मामले में इस महान्यायिका ने निर्धारित किया और निर्देश जारी किए थे नूराली बाबुल थानेवाला बनाम के.एम.एम. शेट्टी और अन्य3 में:

"11. .....यह स्थापित कानून है कि निर्देशादेश का उल्लंघन या उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय को दिया गया किसी सिविल प्रक्रिया में जिस पर न्यायालय ने किसी विशेष कार्रवाई को स्वीकृति दी हो, उस अवज्ञा को अपमान के रूप में गणना की जाती है। ऐसे परिस्थितियों में उपाय अपमानी को अपमान को शुद्ध करने के रूप में निर्देश या कारावास या जुर्माना या इन सबका हो सकता है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे निर्णय के प्रकाश में यह मानना है कि यदि परिपत्र में उल्लंघन हुआ है, तो केवल कारावास या जुर्माना लगाना न्याय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। अपमानी को अपमान को शुद्ध करने के निर्देश के लिए एक आदेश होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धी 1-अपमानी को तत्काल खाली जगह देने के लिए और इसे लागू करने के आवश्यक और परिणामस्वरूप निर्देश जारी किए जाने चाहिए।"

12. उपर्युक्त परिस्थितियों में, हमें लगता है कि उत्तरदाता 1 ने इस महान्यायालय में उसके द्वारा दिए गए प्रतिज्ञान की स्वेच्छापूर्ण अवज्ञा करके अपमान का गुनाह किया है और अतः हम उसे दोषी ठहराते हैं और उसे चार हफ्तों के अंदर रुपये 500 का जुर्माना भुगतने की सजा देते हैं, अगर वह नहीं भुगतता है तो उसे एक महीने के लिए साधारण कारावास सहना पड़ेगा, और उसे अब तक संभव होने पर प्राथमिकता से प्रतिस्पर्धी को संपत्ति की खाली जगह प्राप्त कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

हम जारीदार, ठाणे, को आदेश देते हैं कि वह सभी लोगों को जिनका वास्तविक धारण संपत्ति पर है, सहित प्रतिवादी 2 और उनके सहयोगियों को तत्काल खाली करने के लिए निर्देशित करें, और यदि आवश्यक हो, पुलिस की मदद से और संपत्ति को याचिककर्ता को तुरंत सुरक्षित करने के लिए खाली करने में सहायता करें।"

12. उचित मार्गदर्शन देने के महत्त्व को देश की संविधान बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम संघ भारत और दूसरों के मामले में इस तरह दबाव डाला:

"33. इस प्रकार, इंग्लैंड के कानून में न्यायालय की नाज़र में न्यायिक या जुर्माने की मान्यता प्राप्त सजाएं, जो इस देश में न्यायालयों द्वारा स्वीकार की गई हैं और जिन्हें भारतीय कानून में शामिल किया गया है, जहां तक, न्यायिक अवमानना का संबंध है, वह हैं:"

(i) संपति की जब्ती;

(ii) जुर्माना;

(iii) कारावास में बंद करना।

34. दंडन का उद्देश्य उपचारात्मक और सुधारात्मक दोनों होता है, ये दबाव व्यक्ति शिकायतकर्ता को उसके उपाय को लागू करने में मदद करने के लिए होते हैं और न्यायपालन के सार्वजनिक नीति का भी एक प्रमुख तत्व होता है, क्योंकि यदि किसी भी न्यायालय के आदेश को बेपरवाही से अनदेखा किया जाए तो न्याय का प्रशासन कमजोर हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में, न्यायिक अवमानना की शक्ति के माध्यम से आदेश का पालन किया जा सकता है बिना किसी दबाव के। उदाहरण के रूप में, किसी धनराशि के भुगतान के आदेश का अवहेलना किया गया हो सकता है जब यहाँ उस व्यक्ति की कमाई को जब्त करके किया जा सकता है। उसी तरह, संपति की सम्पादन के निश्चित कार्य के आदेश का पालन न करने पर अवमानित व्यक्ति को कारावास में भेजना, न्यायालय द्वारा यह भी संभव है कि संपति का सम्पादन किसी नियुक्त व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाए। एक वायदा की अवहेलना उसी तरह से न्यायाधीश द्वारा अन्य प्रक्रिया के माध्यम से विचारित की जा सकती है, जैसे किरायेदार-मालिक विवाद में संपति के स्वामित्व की वितरण करने की वादापुर्ति का उल्लंघन। अवमानित व्यक्ति को दंडित करने के अलावा, न्यायालय को क़ानून की महिमा को बनाए रखने के लिए कह सकता है कि पुलिस बल का उपयोग संपति की पुनर्प्राप्ति के लिए हो और अवमानित व्यक्ति को भारी लागतों के साथ दोषी ठहराया जा सकता है, अनुदान या अन्यथा।

13. इसलिए, यह स्पष्ट है कि अवमाननीय आचरण के लिए अवमानित व्यक्ति को दण्डित करने के अलावा, क़ानून की महिमा यह मांग सकती है कि न्यायालय द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी किए जाएं ताकि ऐसे अवमाननीय आचरण के परिणामस्वरूप हुई किसी भी लाभ को पूरी तरह से निष्फल किया जा सके। इस दृष्टिकोण से न्यायालय को उन्नतियों के लिए निर्देश जारी करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि संदिग्ध लेन-देन को विरोध करके उन लेन-देनों को मान्यता से रद्द करने के लिए या उन संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने के लिए कि अवमाननीय आचरण वाले व्यक्ति का ऐसा आचरण अवमानित व्यक्ति या उसके किसी प्रत्यारोपी के लाभ में जारी न रहे। यही कारण है कि इस मामले में, न्यायिक अधिकारी द्वारा जोरूरी हकदार को खाली रिक्ति प्राप्त कराने के लिए निर्देश दिया गया था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने नूरानी बाबुल ठाणेवाला बनाम के.एम.एम. शेट्टी और अन्य में किया था। केवल दंडाधिकारी का आदेश पारित करना, जैसा कि प्रवीण सी. शाह बनाम के.ए.

मोहम्मद अली और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पर्याप्त नहीं होगा। किसी मामले में, न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अवमाननीयता को दूर करने की धारणा के तहत, न्यायालय को आदेश देना हो सकता है कि अवमाननीय आचरण के परिणामस्वरूप हुई सभी लाभों को पूरी तरह से वापिस किया जाए, जिन्हें न्यायालय ने अवमाननीय माना हो।

"14. इस मामले में इस सीमा न्यायालय के तारीख 09.05.2017 के फैसले और आदेश में यह सीमा न्यायालय ने पाया था कि जो कार्य अपराध में आने वाले व्यक्ति ने US$ 40 मिलियन की राशि को वितरित कर दी थी, वह कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के वाचानुसार था नहीं और उस व्यक्ति को अपमानित करने का दोषी पाया गया था।

15. परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क़ानून की महत्ता को बनाए रखने के लिए हमें अपराधी पर योग्य दंड लगाना चाहिए और इसे भी निर्धारित करना चाहिए कि अपराधी या उसके किसी भी प्रारंभिक अधिकार वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभों को नकारा जाए और संबंधित वसूली प्रक्रियाओं में दिए गए अदालती अधिसूचनाओं के अधीन राशियां उपलब्ध हों।

16 .दरअसल, अभियोक्ता ने कभी भी अपने व्यवहार के लिए कोई खेद नहीं दिखाया और न कोई क्षमा मांगी, इसलिए हम उस पर चार महीने की सजा और रु. 2,000/- (केवल दो हजार रुपये) का जुर्माना लगाते हैं। यह जुर्माना इस महान्यायालय की निधि में चार हफ्ते के अंदर जमा कर दिया जाना चाहिए और ऐसे जमा होने पर, यह राशि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को सौंप दी जाएगी। अगर निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं होता है, तो अपराधी को और दो महीने की सजा भोगनी होगी।"

जो कार्य कर्तव्य स्वरूपी दिशानिर्देशों का पालन करना, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संपादित किया जाता है ताकि अपराधी को उस पर लगाए गए कारावास का सामना करना सुनिश्चित किया जा सके। बिना कहे ही यह कहना है कि भारत सरकार, जिसमें विदेश मंत्रालय और सभी अन्य एजेंसियाँ या साधन संगठन शामिल हैं, इस सीमा न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का समयबद्धता और शीघ्रता के साथ पालन करेंगे। इसके बाद, इस सीमा न्यायालय की निगरानी में एक अनुपालन रिपोर्ट जमा की जाएगी।

17. हम यह भी दिशा-निर्देशित करते हैं:

A. वह लेन-देन जिस पर 09.05.2017 की फैसले और आदेश में संदर्भित किया गया है, जिसमें US$ 40 मिलियन की राशि को प्राप्तकर्ताओं को वितरित किया गया था जैसा कि उस फैसले और आदेश के पैराग्राफ 16 में विस्तार से उल्लिखित है, उसे अमान्य और अप्रभावी माना जाता है।

B. उन लेन-देन करने वाले व्यक्तियों के साथ संबंधित पैराग्राफ 16 में उल्लिखित वह अपराधी और प्राप्तकर्ताओं को चार हफ्तों के भीतर निर्धारित रेकवरी अफसर के साथ मिलकर उन्होंने प्राप्त की गई राशि को ब्याज के साथ 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर जमा करना होगा।

C. यदि राशियाँ इस प्रकार से जमा नहीं की गई हैं, तो संबंधित रिकवरी अफसर को उन राशियों की प्राप्ति के लिए उचित प्रक्रिया अधिकार होगा; और भारत सरकार और सभी संबंधित एजेंसियाँ सहायता और पूर्ण सहयोग देंगी। उन्हें ऐसे उचित कदम उठाने की अनुमति होगी, जिसमें वित्तीय महानिदर्शक(ओं) की नियुक्ति भी शामिल हो सकती है।

18. अंत में, हमें अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त करना चाहिए और माननीय वरिष्ठ सलाहकार श्री जयदीप गुप्ता जी के प्रयासों की प्रशंसा और सराहना करनी चाहिए, जिन्होंने अमीकस कुरिये के रूप में इस महान्यायालय की मदद बड़ी समझदारी से की।

19. इस प्रकार, ये अवमानना याचिकाएँ समाप्त हो गई हैं।